राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3115/2024

नरेन्द्र सिंह राजावत **–अपीलार्थी**

बनाम

1. रजिस्ट्रार, राजस्व मंडल, अजमेर।
2. जिला कलक्टर, डीग।
3. रामेश्वर दयाल यादव, नायब तहसीलदार, भरतपुर प्रथम, जिला भरतपुर जरिये कलेक्टर, भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 15.10.2024

आदेश की दिनांक : 18.10.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेन्द्र शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में नायब तहसीलदार के पद पर रारह जिला डींग में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 11.10.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से तहसील भरतपुर प्रथम, जिला भरतपुर किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पटवारी के पद पर वर्ष 1991 में हुई थी और उसे बामनवास, सवाई माधोपुर पदस्थापित किया गया। वर्ष 2016 में अपीलार्थी भू–अभिलेख निरीक्षक के

पद पर और वर्ष 2022 में नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नत हुआ। अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 11.11.2022 की पालना में रैणी जिला अलवर में कार्यग्रहण किया और आदेश दिनांक 27.10.2024 के द्वारा अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापित स्थान पर पदस्थापित किया गया, परंतु आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी को भरतपुर प्रथम स्थानांतरित कर दिया गया, जो बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है। उनका यह भी कथन है कि पदोन्नति उपरांत अपीलार्थी का वेतन रैणी कार्यालय से जारी नहीं किया गया, जो आज दिनांक तक अपीलार्थी वेतन आदि नहीं मिलने से परेशान हो रहा है। अपीलार्थी का स्थानांतरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को समंजित करने के आशय से किया गया है, जो स्थानांतरण नीति एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 11.10.2024 को अपास्त कर अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन नायब तहसीलदार के पद पर रारह जिला डींग में कार्यरत है। परंतु अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की

अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)